Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to impress upon the Government of Bihar to withdraw Bihar Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2017

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) ः बिहार सरकार दिनांक 02-06-2017 को बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2017 के द्वारा ग्राम स्वराज यानि पंचायतीराज व्यवस्था में बदलाव करने एवं लोकतंत्र की मूल आत्मा ग्राम सभा के अस्तित्व को समाप्त करने एवं पंचायतीराज अधिनियम-2006 के एक अन्य महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव तथा केंद्रीय अनुदान 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के विरूद्ध राज्य सरकार के द्वारा निर्देश थोपने के कारण लगभग एक वऐाऩ से राशि खर्च नहीं होने के कारण विकास कार्य अवरूद्ध हो गया है। 14वें वित्त आयोग के गठन के साथ ही केंद्रीय अनुदान की राशि को ग्राम सभा के द्वारा चयनित एवं निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न प्रक्षेत्रों की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना था, लेकिन राज्य सरकार इस अध्यादेश को लाकर मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में कुल राशि का करीब 80 प्रतिशत खर्च कर रही है, जबकि इस योजना को राज्य सरकार को अपने संसाधन से करना था। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इसे असंवैधानिक करार दिया जा चुका है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश जो लोकतंत्र की मूल आत्मा ग्राम सभा के अस्तित्व को समाप्त करता है उसे निरस्त किया जाए ताकि लोकतंत्र की मूल आत्मा ग्राम सभा का अस्तित्व बचा रहे एवं इसी के माध्यम से पंचायतों का विकास हो सके।